

26.6.24

पत्रावली पेश हुई।  
अपीलान्त सधिवक्ता अनुपस्थित।  
पत्रावली पूर्व नोटिसानुसार (कार-६)  
14.8.24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छोरीगन्ना, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी  
छोरीगन्ना, बाड़मेर

14-8-24

पत्रावली आज पेश हुई।  
अपीलान्तगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित।  
आज अदालत समय में रुक-रुक कर तीन बार बार आवाजे  
दिलवाये जाने के बावजूद अपीलान्तगण एवं उनके अधिवक्ता  
में से कोई उपस्थित नहीं हुए।  
अदालत उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाज लगाई गई।  
फिर भी इनमें से कोई हाजिर नहीं हुए। इससे जाहीर होता  
है कि अपीलान्तगण एवं उनके अधिवक्ता इस प्रकरण में  
कोई रुची नहीं ले रहे हैं।  
अतः अपीलान्तगण की अपील अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व  
आदेश 9 नियम 3 सीपीसी के तहत वाद अदम हाजरी एवं  
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
छोरीगन्ना, बाड़मेर